भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1587
दिनांक 09 दिसंबर, 2025 / 18 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

बीएडीपी धनराशि का बंद होना

†1587. श्री जयन्त बसुमतारीः

श्री अबू ताहेर खानः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) की धनराशि विशेषकर मुर्शिदाबाद जिले के रानीनगर, भगवानगोला, जलांगी और डोमकल के सीमावर्ती गांवों में कथित तौर पर रोक दी गई है और यदि हां, तो इस रोक के क्या कारण हैं;
(ख) क्या इन सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रही सड़क निर्माण, स्वच्छता सुविधाएं, सिंचाई नहरें और सामुदायिक बुनियादी ढांचा जैसे विकास परियोजनाएं बीएडीपी निधि बंद होने के कारण रुक गई हैं और यदि हां, तो प्रभावित कार्यों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) स्थानीय संपर्क, सुरक्षा और आजीविका संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए इन संवेदनशील सीमावर्ती गांवों में बीएडीपी निधि जारी करने और रुकी हुई विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क से ग): केंद्र सरकार ने सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के अन्तर्गत चल रहे कार्यों हेतु प्रतिबद्ध दायित्व के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी करने की स्वीकृति दी है।

इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर (यूटी), लद्दाख (यूटी), मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं (आईएलबी) (उत्तरी

लोक सभा अता. प्र.सं. 1587, दिनांक 09.12.2025

सीमाओं को छोड़कर, जो वीवीपी-I के अंतर्गत सम्मिलित हैं) से सटे ब्लॉकों के चुनिंदा गांवों के व्यापक विकास हेतु ₹6839 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम-II (वीवीपी-II) को स्वीकृति दी है।

कार्यक्रम का उद्देश्य समृद्ध और सुरक्षित सीमाओं को सुनिश्चित करने, सीमा पार अपराध को नियंत्रित करने और सीमावर्ती जनसंख्या को राष्ट्र के साथ आत्मसात करने के लिए बेहतर जीवन स्थितियां और पर्याप्त आजीविका के अवसर पैदा करना है।

***